समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

–: आदेश :–

सैयद मो0 आरिफ मनौवर, पिता–स्व0 मो0 खलीलउद्दीन, सा0–नोहसा, पो0+थाना–फुलवारीशरीफ, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर पिस्टल/रिवाल्वर शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–423/2011 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच/सत्यापन प्रतिवेदन की माँग की गई।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–996/गो0, दिनांक–21.10.2011 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त बिना अनुशंसा के मूल में आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, फुलवारीशरीफ द्वारा थानाध्यक्ष, फुलवारीशरीफ के जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि आवेदक को पूर्व से एक डी0बी0बी0एल0 गन की अनुज्ञप्ति प्राप्त है। इसलिए अन्य शस्त्र की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, के मद्देनजर आवेदक को आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति नहीं निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है। थानाध्यक्ष, फुलवारीशरीफ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वे खेती करते हैं। तदोपरान्त आवेदक के जान–माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में कुछ भी प्रतिवेदित नहीं किया गया है। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका–10 के सभी बिन्दुओं पर 'नहीं' प्रतिवेदित किया गया है। साथ ही आवेदक के पास पूर्व से एक डी0बी0बी0एल0 गन की अनुज्ञप्ति प्राप्त है, के मद्देनजर आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा नहीं की गयी है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा को देखते हुए उन्हें पूर्व में एक डी0बी0एल0 गन की अनुज्ञप्ति निर्गत की गई और इसके अतिरिक्त उन्हें एक एन0पी0बोर पिस्टल/रिवाल्वर हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक सैयद मो0 आरिफ मनौवर, पिता–स्व0 मो0 खलीलउद्दीन, सा0–नोहसा, पो0+थाना–फुलवारीशरीफ, जिला–पटना के आवेदित एक एन0पी0बोर पिस्टल/रिवाल्वर अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को **अस्वीकृत** किया जाता है। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।